



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24774

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 334/2025

दिलीप कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कमल सिंह यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता श्री कमल सिंह यादव ने तर्क दिया है कि वर्तमान रिट याचिका उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 9-क(2) के अंतर्गत आपत्ति के त्वरित निस्तारण के लिए दायर की गई थी। उपर्युक्त कार्यवाही संबंधित न्यायालय द्वारा निस्तारित की जा चुकी है; इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को निष्प्रभावी (इनफ्रक्टुअस) होने के आधार पर खारिज किया जा सकता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का कोई विरोध नहीं है।
3. इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

नीतू

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"